**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2251**

**बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

**2251. डॉ. तालारी रंगैय्या:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की विभिन्न योजनाएं विदेश व्यापार में योगदान दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार प्राप्त करने वाले प्रत्येक विनिर्माण क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सोम प्रकाश)**

**(क) और (ख):** भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

इन 14 क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ओटोमोबाइल और ऑटो के पुर्जे, (v) फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, (vi) विशिष्ट इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स तथा (xiii) एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले, उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और किफायत सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों तक उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) की कुछ श्रेणियों में रणनीतिक रूप से प्रवेश करना है, जिससे भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान में

परंपरागत सामान की जगह उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उत्पाद, प्रसंस्कृत युक्त खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स आदि की अधिकता हो सके।

विधिवत अनुमोदन के पश्चात संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों को अधिसूचित किया गया है। ये स्कीमें कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू किए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

*****